



ALL INDIA FAIR PRICE SHOP DEALERS' FEDERATION

Regd. No. District East/Society/273-2011 of Govt. of NCT. of Delhi

Regd. Office : S-562, School Block, 'AKHAND HINDUSTHAN BHAWAN' Shakarpur, Delhi - 110 092, Mobile : 98110 12241/9871421221

Head Office : AC-164, Prafulla Kanan (East), Kestopur, Kolkata - 700 101, West Bengal

Phone : (033) 2591 3871, Mobile : 98301 35530 / 9748777000 / 9830235550, E-mail : gs@aifpsdf.org, Website : www.aifpsdf.org, WhatsApp : 9831241939/9830135530, Facebook : facebook.com@aifpsdf

Ref. No. : AIFPSDF/1673/22

दिनांक : 19.12.2022

उत्तर – पूर्व राज्यों की संयुक्त बैठक की कार्यवाही

राष्ट्रीय कार्यकारिणी के एक महत्वपूर्ण निर्णय के आलोक में संघ के सभी सदस्यों में सांगठनिक चर्चा एवं आगामी कार्यक्रमों के लिए देश के राज्यों में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ओडिशा, महाराष्ट्र के बाद, उत्तर पूर्व राज्य एक भव्य सम्मेलन का आयोजन करेंगे जो 18.12.2022 को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया – यह अभियान अन्य सभी राज्यों में जारी रहेगा।

गुवाहाटी के सम्मेलन ने पहाड़ी क्षेत्रों-असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के क्रांतिकारी साथियों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया, उत्तर-पूर्वी राज्यों की समस्याओं पर बल दिया, जिसे केन्द्रीय कमेटी गंभीर है।

ऑल असम फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में हुई बैठक में मुख्य रूप से निम्न विषयों पर विचार करने के बाद घोषणा की गई:-

1. सर्वर के अक्सर डाउन रहने और नेटवर्क की लगातार अनुपलब्धता के कारण सभी वैध रैटन कार्डों को ई-पीओएस के माध्यम से वितरण करना मुश्किल हो गया है। ऐसी आकस्मिकताओं के तहत, हमें किसी भी लाभार्थी को मना या परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि एक अस्वचालित लेनदेन के माध्यम से ई-पीओएस में आधार नंबर डालकर राशन वितरित कर सकते हैं।
2. पूर्वोत्तर राज्यों में एनएफएसए/पीएमजीकेवाई की सभी बकाया राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। दिसंबर 2015 से मार्च 2019 तक @ रुपये का भुगतान। असम के एफपीएस डीलरों को 42/90 की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि इस तरह के बकाया का भुगतान न करने की स्थिति में, हमें गुवाहाटी में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जाना चाहिए।
3. एनएफएसए/पीएमजीकेवाई के अलावा, उत्तर-पूर्वी राज्यों में एवाई लाभार्थियों के लिए चीनी और अन्य वस्तुओं को पहले की तरह जारी रखने के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाया जाएगा।
4. चाय बागान से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए असम और दार्जिलिंग इकाइयों के साथ शीघ्र ही एक बैठक आयोजित की जाएगी।

जारी 2

5. सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित पूरे देश में "हैंडलिंग लॉस" के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए दबाव बनाया जा रहा है, इसे और गति दी जाएगी। वास्तव में, केवल पश्चिम बंगाल में, डीलरों को 200 ग्राम प्रति किंटल की दर से हैंडलिंग लॉस की अनुमति अगस्त 2022 से दी जा रही है।
6. हमें उत्तर-पूर्वी राज्यों की समस्याओं को लेकर जल्द से जल्द केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के साथ एक विशेष बैठक की व्यवस्था करनी चाहिए।
7. यह निर्णय लिया गया कि सभी राज्यों को अपने औसत उठाव को राज्य में राशन की दुकानों की कुल संख्या से विभाजित करना चाहिए - औसत उठाव को प्रति किंटल कमीशन से गुणा करके, घटाकर शेष राशि से व्यय की कुल राशि घटाना। राशि को औसत मासिक आय मानते हुए डीलरों से अनुरोध है कि इस वर्ष के भीतर इसे हमारे प्रधान कार्यालय को भेज दें, जिसे हमारे राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार, माननीय सांसद, प्रो सौगत राय जी के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री को सौंप दिया जाएगा, जो कुल आय को दर्शाता है 50,000/- रुपये की मासिक न्यूनतम आय गारंटी सुनिश्चित किया जाए।
8. यदि राज्य सरकारें कमीशन बढ़ाने की हमारी वैध मांग को अनदेखा करती है तो प्रत्येक राज्य इकाई द्वारा संबंधित माननीय उच्च न्यायालयों के समक्ष अदालती मामले किए जा सकते हैं।
9. ब्लॉक किए गए कार्डों के मामले में, यह सलाह दी गई थी कि ब्लॉक/फ्लैग किए गए कार्डों की एक सूची बनाकर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित वैध मामला दायर किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, हमें (1) ई-पीओएस से "अवरूद्ध" के रूप में परिलक्षित स्क्रीन शॉट (2) संबंधित राशन कार्ड और आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स प्रतियां एकत्र करनी चाहिए।
10. उपरोक्त सभी निर्णयों की घोषणा करते हुए राष्ट्रीय महासचिव ने 14.12.2022 को लोकसभा में नागालैंड के "टाइड-ओवर अलोकेशन" से संबंधित प्रश्न उठाने के लिए नागालैंड के माननीय सांसद श्री तोकेहो येप्थोमी का आभार व्यक्त किया।
11. माननीय केंद्रीय खाद्य मंत्री के साथ उचित मूल्य की दुकानों के अ-निजीकरण के मुद्दे को माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उठाने के लिए और पीएमजीकेएवाई योजना का विस्तार करने के लिए सदन ने हमारे मुख्य सलाहकार और माननीय सांसद, प्रोफेसर सौगत राय का बहुत आभार व्यक्त किया।
12. उत्तर-पूर्व राज्य के संगठन को मजबूत करने के लिए मंच से राष्ट्रीय महासचिव द्वारा एक अंचल समिति की घोषणा की गई, जो इस प्रकार है :-

- अंचल अध्यक्ष :- श्री धरणी धर बोराह (असम)।

- जोनल कार्यवाहक – अध्यक्ष: जनाब अनवर खान (मेघालय), श्री गुंजन बोरा (असम)
- अंचल उपाध्यक्ष :- श्री बेंगिया विजय (अरुणाचल प्रदेश)
- अंचल सचिव :- श्री मेजियांग गोनमेल (नागालैंड)
- अंचल संगठन सचिव :- श्री बामंग आपा (अरुणाचल प्रदेश), श्रीमती. पीसी ललथाकिम (मिजोरम), श्री हरि नारायण दत्ता (असम)
- अंचल कोषाध्यक्ष :- श्री बिष्णु दास (असम)
- जोनल कार्यालय निम्नलिखित पते से गुवाहाटी में कार्यालय की व्यवस्था होने तक कार्य करेगा :
श्री बिष्णु दास c/o. बिष्णु स्टोर, पान बाजार, जी.एन.बी. रोड, गुवाहाटी – 781 001।

आज की बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री ओंकार नाथ झा ने फेडरेशन की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए सभी राज्यों की एकजुटता पर जोर देते हुए उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया

बैठक में सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों के प्रतिनिधियों को भी 23.12.2022 को होने वाली वर्चुअल बैठक में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भाग लेने का निर्देश दिया गया।

सम्मेलन की अध्यक्षता असम के प्रदेश अध्यक्ष श्री धरणीधर बोरा ने की। बैठक को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मेजियांग गोनमेल, जनाब अनवर खान, श्री गुंजन बोरा, श्री बेंगिया विजय, श्रीमती पीसी ललथाकिम सहित सभी राज्यों के अन्य पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया।

बैठक अध्यक्ष के धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

धरणी धर बोराह
बैठक के अध्यक्ष

बिश्मभर बासु
राष्ट्रीय महासचिव